Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

82

11

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण कमांक— PBR/ निगरानी/ उज्जैन/ भू.रा./2018/1181 /2017—18 रिवीजन

आवेदकगण ::— 1—श्री कुमार पिता बालकृष्ण कुच्चु गोविन्द मेनन

2—श्रीमती सरस्वती पति स्वर्गीय पी.बालकृष्ण कुच्चु गोविन्द मेनन

3—श्रीमती गीता पति शिवनन्दन नायर पुत्री श्री पी0 बालकृष्ण कुच्चु गोविन्द मेनन

निवासीगण—पाडल्याकलॉ नागदा जिला,उज्जैन

———विरूद्ध———

अनावेदकगण ::— 1—प्रेमलता पति श्री एम0के0 राठौर

निवासी—पाडल्याकलॉ नागदा जिला,उज्जैन

2—तहसीलदार नागदा जिला उज्जैन

कार्यवाही 23/2/18

अधि: ममता सोनी द्वारा आज दिनांक 25/01/18 को पेश 3570 पृ 45

25/01/18

निगरानी धारा—50 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत तहसीलदार नागदा द्वारा आदेशित राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

आवेदकगण द्वारा निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :—

::—आधार—::

01. यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही विधि विधान एवं रेकॉर्ड के विपरीत होकर निरस्तकरणीय हैं।

02. यह कि, माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन के पूर्व आवेदकगण को कोई सूचना पत्र प्रसारित नहीं किया गया । प्रकरण दर्ज नहीं किया गया । मनमानी कार्यवाही सीमांकन करने में वैधानिक एवं घटनात्मक त्रुटि की है।

03. यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में नियमों का पालन नहीं किया गया हैं। अनावेदक की कोई भूमि मौके पर नहीं होते हुए भी आवेदकगण की भूमि को अनावेदक की भूमि दर्शाकर कार्यवाही कर दी गई हैं।

3

04. यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई पंचनामें की कार्यवाही भी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2018/1181

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता सुश्री ममता सोनी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	